


09/3/24

प्रतिवादी द्वारा पेश की गई या.पत्र पर लक्ष्य
अनुवी वरु। प्रतिवादी द्वारा पेश की गई आपत्ति
जापज प्रतीत होती है। वादी द्वारा शंकाओं को
के संदर्भ में अनुलोप मांगा गया है
वादी इस अनुलोप की पूर्ण कर सकता है
उस Act के तहत सुनवाई करने का अधिकार
इस अदालत की प्राप्त नहीं है।
इसलिए यह वाय इस स्तर पर खारिज किया जाता है


उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

